न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994

प्रकरण संख्या– 09/2018

1. रामकिशन पुत्र श्री मनफुल जाति मेघवाल निवासी फेफाना वार्ड सं0 23 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– आवेदक

बनाम

1. देवीलाल पुत्र हेतराम जाति वा निवासी फेफाना वार्ड स० 23 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अमरसिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति मेघवाल निवासी फेफाना वार्ड स० 23 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. सरंपच ग्राम पंचायत फेफाना तहसील नोहरें जिला हनुमानगढ़।
4. प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर तहसील नोहर।

– अनावेदकगण

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्राथी।

श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–02

निर्णय

दिनांकः– 31.07.24

प्रार्थी रामकिशन पुत्र श्री मनफुल जाति मेघवाल निवासी फेफाना वार्ड सं0 23 तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ द्वारा बखिलाफ निर्णय दिनांक 14.05.2018 एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर जिला हनुमानगढ़ जिसकी रूह से अपील सं0 11/2009 बअनवानी देवीलाल बनाम रामकिशन आदि स्वीकार की जाकर आवेदक के नाम से जारी पट्टा दिनांक 25.11.2007 को निरस्त कर शून्य घोषित किया, को अपास्त करवाने निगरानी प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:14 IST
Reason: Self-Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़

1. अनावेदकगण सं0 1 व 2 यानि अपीलान्ट की तरफ से एक अपील सं0 11/2009 बअनवानी देवीलाल बनाम रामकिशन आदि इस आशय की प्रस्तुत हुई कि अपीलान्ट ग्राम फेफाना के वार्ड सं. 23 के निवासी है तथा ग्राम फेफाना के वार्ड सं. 21 व 23 के मध्य एक प्राचीन जोहड़ (डिग्गी) बनी हुई है जिसमें उक्त दोनो वार्डो के निवासी व गांव के अन्य लोग पशुओं को पानी पिलाने व कच्ची इन्टो आदि निकालने के उपयोग व उपभोग में लेते रहे है तथा इस जोहड़ में नहर के मोघा सख्या 5 जेएसएन से पानी डाला जाता है। जिसके लिए पक्का खाला बना हुआ है, जो आज तक मौका पर भी है यहाँ पर ना किसी व्यक्ति के कब्जा है तथा ना ही हो सकता है। यहाँ पर गहरे गढढे बने हुए है। ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा विधि विरूद्ध पटटा जारी किया है। अपीलाधीन पट्टा की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है एवं अपील अपीलान्ट दर्ज रजि. की गई तथा रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये तथा रेस्पो0 सं0 1 आवेदक ने मातहत अदालत हाजिर होकर जवाब पेश किया कि वार्ड सं0 23 में दिनांक 29.11.2009 को 30 फुट गुणा 40 फुट क्षेत्र का पट्टा जारी किया है, जो पट्टा सही है एवं अपीलार्थी खारीज करने एवं पट्टा बहाल रखने हेतु निवेदन किया एवं आवेदक का प्लाट में एक कमरा निर्मित है तथा प्लाट के अन्दर स्नानघर व टॉयलेट आदि बने हुऐ है तथा अपील मियाद बाहर पेश की गई थी । अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे तथा मातहत अदालत ने बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए तथा बिना सही आधार के विधि विरूद्ध तरीके से आवेदक के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 25.11.2007 का निरस्त कर शुन्य पारित अपने निर्णय दिनांक 14.05.2018 का किया है, जिससे आवेदक प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है, जिससे आवेदक निर्णय दिनांक 14.05.2018 को अपास्त करने हेतु तथा आवेदक प्रार्थी के पट्टा दिनांक 25.11.2007 को बहाल करने हेतु यह निगरानी प्रार्थी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है–

(क) निर्णय दिनांक 14.05.2018 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम व वाक्यात मिसल है तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खिलाफ तथा निर्णय दिनांक 14.5.2018 काबिली खारिजी के है।

(ख) मातहत अदालत ने इस तथ्यों पर गौर नहीं किया कि आवेदक का पट्टा कब्जे के आधार पर किमतन जारी किया गया है तथा करीब 10 वर्षो से काबिज जगह का है, पुराना है, तथा पट्टाशुदा जगह पर मकान तामिर हुआ है तथा टायलेट व स्नान घर आदि बने हुये है तथा अपीलान्ट अनावेदकगण ने जानबुझकर उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की थी। मगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:14 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

मातहत अदालत ने नियमानुसार जारी पट्टा को निरस्त व शुन्य घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है, जो काबिल खारिजी के है।

(ग) मातहत अदालत की मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि पट्टा सार्वजनिक गिनानी की जगह पर नही बना हुआ है एवं आवेदक का पटटा विनियमितिकरण का पट्टा जारी किया गया है तथा जिस पर आवेदकगण वर्षो से काबिज है तथा पंचायत द्वारा सम्पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया, अपना कर आवेदक के पक्ष में पटटा जारी किया गया है फिर भी मातहत अदालत ने अपील स्वीकार कर पटटा आवेदक निरस्त कर कानूनी भुल की है।

(घ) मातहत अदालत ने कानून के खिलाफ जाते हुऐ केवल राजनैतिक द्वेषता से वशीभूत होकर निर्णय पारित किया है।

(ड) आवेदक को मातहत अदालत ने जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसके बारे में कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा आवेदक को विधि अनुसार जारी पट्टा दिनांक 25.11.2007 निरस्त व शुन्य घोषित किया, जो कि विधि के मूलभूत सिद्धान्तो के विरूद्ध किया है तथा निर्णय इसी आधार पर काबिल निरस्तनीय है।

(च) अन्य वजुहात निगरानी वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

लिहाजा यह निगरानी आवेदक प्रार्थी पेश कर निवेदन है कि निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 14.05.2018 मातहत अदालत अपास्त फरमाया जावे। तथा पट्टा दिनांक 25.11.2007 बहक प्रार्थी बहाल रखा जावे।

निगरानी प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से श्री हरिसिंह सिहाग एडवोकेट उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर से निगरानीधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में [illegible] वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदक का पट्टा [illegible] जारी किया गया है तथा पटटा 10 वर्षो से काबिज जगह का है, [illegible] है, तथा पट्टा शुद्दा जगह पर मकान बना हुआ है तथा टायलेट व स्नान घर आदि बने हुये है तथा अपीलान्ट/ अनावेदकगण ने जानबुझाकर उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला ... नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

पर अपील पेश की थी। मगर मातहत अदालत ने नियमानुसार जारी पट्टा को निरस्त व शुन्य घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित निर्णय अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा गांव के सार्वजनिक जोहड़, जहां पशु आदि पानी पीते है। यहां पर गांव में पीने के पानी की सार्वजनिक डिग्गी बनी हुई। वर्तमान यह जगह खाली है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में जारी पट्टा पुराना, कब्जाशुदा मकान का जारी किया गया है जबकि यह जगह वर्तमान में खाली है तथा सार्वजनिक जोहड़ की जगह है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पर पंच, उपसरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। अतः यह पट्टा कानूनन गलत जारी किया गया है, जो खारिज योग्य है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–02 ने अपनी बहस में कथन किया कि पट्टा जोहड़ की भूमि पर जारी किया गया। इस पट्टा के भूखण्ड पर सार्वजनिक पीने के पानी की डिग्गी बनी हुई है। अतः सार्वजनिक हित में निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार विवादित स्थल पर कोई मकान निर्माण नहीं किया हुआ है। प्लॉट खाली जगह है। डिग्गी पास बनी हुई है। पट्टा संख्या 40 संकल्प संख्या 6 दिनांक 20.07.2007 रसीद संख्या 30 द्वारा 260 रूपये दिनांक 25.11.2007 से जमा हो जानें से पंचायत राज. अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत प्रार्थी को पुराने गृह विनियमितिकरण कर मालिकाना हक का पट्टा जारी किया जाना अंकित है जबकि ग्राम पंचायत फेफाना के प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20.07.2007 में पट्टा संख्या 40 के संबध में कोई तथ्य अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा दिनांक 20.07.2007 को जारी पट्टा संख्या 40 पर पंच, उपसरपंच, एंव सचिव आदि के हस्ताक्षर भी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:14 IST
Reason: SelfAttested

अतः न्यायालय के मत में ग्राम [illegible] पट्टा विधि मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] प्रशासन एंव स्था[illegible] स्थ[illegible] समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा दिनांक 14.05.2018 को पारित निर्णय विधि[illegible]त एंव न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक [illegible] को पारित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर का

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

निर्णय दिनांक 14.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.7.24 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.08.05 17:47:14 IST
Reason: SelfAttested